संख्या-8/2025/वे0आ0-2-240/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से पौष्टिक आहार भत्ता के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(i) पुलिस विभाग में पौष्टिक आहार भत्ते की वर्तमान दर को बनाये रखा जाय।

(ii) उत्तर प्रदेश सचिवालय में सुरक्षा दल के अग्नि रक्षक/लीडिंग फायरमैन, विधान भवन/विधान परिषद् के रक्षक/हेड रक्षक के पदों पर अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ते की वर्तमान दर रू० 950 प्रतिमाह को बढ़ाकर रू0 1500 प्रतिमाह किया जाय।

(iii) पौष्टिक आहार भत्ता स्वीकृत करने के लिये निर्धारित मानकों का पालन किया जाय।

2- पौष्टिक आहार भत्ता की संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-8/2025/वे0आ0-2-240(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in